कार्यालय अपर जिला कलक्टर–प्रथम, जोधपुर।

क्रमांकःएडीएम–प्रथम/कोर्ट/2017/113 दिनांकः08.12.2017

प्रेषितः–

सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर।

विषयः–श्री हनुमानराम पूर्व सरपंच ग्रा0पं0 केरू के विरूद्ध शिकायत की जांच बाबत।
प्रसंगः– आपका पत्रांक पं.जा./2/वि.जा./2015/2638–2641 दिनांक 07.10.2015

———

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्री हनुमानराम पूर्व सरपंच ग्रा0पं0 केरू के विरूद्ध प्राप्त शिकायती पत्र में वर्णित आरोप अनुसार श्री हनुमानराम पूर्व सरपंच ग्रा0पं0 केरू व विभागीय पैरोकार विकास अधिकारी, पं0स0 मुख्यालय जोधपुर से प्राप्त लिखित टिप्पणी अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत है।

आरोप विवरण संख्या 1–

यह है कि आप श्री हनुमानराम ने सरपंच ग्राम पंचायत केरू, पंचायत समिति मण्डोर के पद पर कार्यरत रहते हुए जांच रिपोर्ट अनुसार ग्राम पंचायत केरू में राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय केरू में दो हॉल मय बरामदा निर्माण कार्य सांसद विकास योजना में तीन लाख की स्वीकृति थी। उक्त कार्य के पेटे आपके द्वारा 299999/– का व्यय किया गया। कनिष्ठ अभियंता के द्वारा उक्त कार्य का मूल्यांकन 268559/– राशि किया गया। उक्त कार्य पेटे मूल्यांकन से अधिक व्यय की राशि 31440/– की गई, जो वसूल योग्य थी। उक्त वसूली आज तक जमा नही करवाई गई। जिसके लिए आप उतरदायी है।

आरोपी पूर्व सरपंच श्री हनुमानराम का कथनः–

आरोपी सरपंच ने अपने बयान में कथन किया है कि ग्रा0 पं. केरू में वित्तीय वर्ष 2000–2005 तक में सरपंच के पद पर कार्यरत था। रा0सी0माध्यमिक विद्यालय, केरू में दो हॉल मय बरामदा का निर्माण कार्य के मूल्यांकन से अधिक व्यय राशि रूपये 31444/– की वसूली का नोटिस प्राप्त हुआ। आरोप अनुसार राशि रूपये 31440/– रूपये जरिये रसीद संख्या 07 दिनांक 20.11.2015 को राजकोष में जमा करा दिये।

सरकारी पैरोकार का कथनः–

सरपंच श्री हनुमानराम से वसूल योग्य राशि राजकोष में जमा करवायी जा चुकी है। रसीद की छाया प्रति संलग्न है।

आरोप संख्या 2–

यह है कि आप श्री हनुमानराम पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत केरू पंचायत समिति मण्डोर ग्राम पंचायत केरू के सरपंच पद पर कार्यरत रहते हुए जांच रिपोर्ट अनुसार दिनांक 30.12.2000 को स्वयं की पत्नी श्रीमती सरस्वती देवी के नाम से खसरा संख्या

910/2 में दो पट्टे क्रमशः 400 वर्ग गज व 533.33 वर्ग गज के जारी कर दिये। यह भूमि खसरा संख्या 910/2 की आधा बीघा भूमि राजस्व रिकार्ड में सरस्वती देवी पत्नी श्री हनुमानराम जाट निवासी केरू के नाम से गैर मुमकीन ढ़ाणी दर्ज है। चूंकि उक्त भूमि गैर मुमकीन ढ़ाणी के नाम से होने से ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में नही थी। फिर भी आपने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पट्टे जारी कर दिये थे।

आपने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 32(1) का उल्लंघन किया है।

आरोपी पूर्व सरपंच श्री हनुमानराम का कथनः–

मेरे कार्यकाल के दौरान दिनांक 30.12.2000 को दो पट्टे जारी किये गये थे। जो ग्राम केरू के खसरा नम्बर 910/2 में जारी किये गये। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन ढ़ाणी जो मेरे पत्नी के नाम थी। उसका भूलवश आबादी मान कर पट्टा जारी कर दिया गया। जो एक मानवीय भूल है।

सरकारी पैरोकार का कथनः–

सरकारी पैरोकार ने कथन किया कि श्री हनुमानराम पूर्व सरपंच अपने कार्यकाल में दिनांक 30.12.2002 को स्वयं की पत्नी के नाम से खसरा नंबर 910/2 में दो पट्टे क्रमशः 400 वर्गगज व 533.33 वर्गगज जारी किये गये। उक्त भूमि ग्राम पंचायत केरू की आबादी भूमि नही थी।

निष्कर्षः–

श्री हनुमानराम पूर्व सरपंच, ग्रा0पं0 केरू ने अपने कार्यकाल के दौरान आरोप संख्या एक के अनुसार रा0सी0माध्यमिक विद्यालय, केरू में दो हॉल मय बरामदा के निर्माण कार्य करवाया जो मूल्यांकन राशि से अधिक 31440/– रूपये अधिक व्यय किये गये थे। जो राजकोष में पुनः जमा करवा दिये गये। आरोप सिद्ध पाया गया।

आरोप संख्या दो श्री हनुमानराम पूर्व सरपंच, ग्रा0पं0 केरू के खसरा नंबर 910/2 में दो पट्टे अपने पत्नी के नाम जारी किये गये थे। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड के अनुसार ग्रा0पं0 केरू की आबादी भूमि नही थी। अतः आरोप संख्या दो भी सिद्ध होना पाया गया।

संलग्नः– मूल पत्रावली पृष्ठ सं0 01 से

(जांच अधिकारी)
अपर जिला कलक्टर–प्रथम
जोधपुर